भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1353
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट

1353. श्री वरुण चौधरी:
क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) श्री एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की गणना के लिए क्या फार्मूला अपनाया गया है तथा विभाग द्वारा क्या फार्मूला अपनाया गया है;
(ख) क्या स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार एम.एस.पी. की गणना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो इसे कब तक अपनाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या किसानों को एम.एस.पी. पर कानूनी गारंटी प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो इसे कब तक अपनाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों और हितधारक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, उत्पादन की लागत, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है। इसके अलावा भूमि, पानी और अन्य उत्पादन संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करना और उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का मार्जिन सुनिश्चित करना।

वर्ष 2004 में प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को भारित औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। इस सिफारिश को प्रभाव में लाने के लिए सरकार ने 2018-19 के अपने केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर बनाए रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की थी। तदनुसार, सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों की एमएसपी, अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ निर्धारित की गई है।

(ग): न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई, 2022 को एक समिति का गठन किया गया है। समिति की विषय-वस्तु में तीन बिंदु शामिल हैं, जैसे, (i) व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाकर देश के किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने के सुझाव, (ii) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता पर सुझाव एवं इसे अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय, और (iii) देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना ताकि घरेलू एवं निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य के माध्यम से उन्हें अधिक मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

*****